



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112024-258779
CG-DL-E-20112024-258779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4600]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2024/कार्तिक 29, 1946

No. 4600]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2024/KARTIKA 29, 1946

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2024

एक्रिलोनीट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 4988(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एक्रिलोनीट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एक्रिलोनीट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एक्रिलोनीट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप पैरा (2) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ परंतु इस आदेश में कोई बात, टोको ट्रांसड्यूसर के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्रिलोनीट्राइल-ब्यूटाडीन (एबीएस) स्टाइरीन मोडलिंग और एक्सट्रूजन सामग्रियों पर लागू नहीं होगी।”

[फा. सं. PC-II-46016/6/2020-Tech.-CPC (Part 2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणः—मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3927(अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 88(अ), तारीख 7 जनवरी, 2022, का.आ. 1069(अ), तारीख 10 मार्च, 2022 और का.आ. 1121(अ), तारीख 9 मार्च, 2023 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2024

Acrylonitrile-Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Amendment Order, 2024

S.O. 4988(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Acrylonitrile-Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Order, 2021, namely: —

1. (1) This Order may be called the Acrylonitrile-Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Acrylonitrile-Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, after subparagraph (2), the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that nothing in this Order shall apply to Acrylonitrile-Butadiene Styrene (ABS) Moulding and Extrusion Materials used for production of toco transducers.”

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.-CPC (Part 2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3927(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O.88(E), dated the 7th January, 2022, S.O. 1069(E), dated the 10th March, 2022 and S.O. 1121(E), dated the 9th March, 2023.